I रोजगार का लगभग 90% रोजगार हैं और सामान्यतः असंगठित क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार बढ़ने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) "असंगठित" शब्द से किसी विशिष्ट श्रेणी की आशय नहीं हैं अपितु इसके अंतर्गत वे सभी श्रमिक आते हैं जिनमें अपने सदस्यों की संख्या (जो या तो बहुत अधिक होती हैं या बहुत कम) होने, अपने दूरवर्ती और अलग-अलग स्थलों पर कार्य-स्थल होने, और शिक्षा, जागरूकता और व्यवसाय संघ के क्रियाकलापों की कमी होने के कारण संगठन नहीं होता। अतः संगठित और असंगठित श्रमिकों की कार्य की दशाओं के मध्य तुलना करना कठिन है। अधिकांश श्रम विधान समस्त श्रमजीवी वर्ग पर विस्तारित हैं जिसमें असंगठित श्रमिक भी शामिल हैं। जहां औपचारिक विधान संभव नहीं हैं वहां केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा संचालित कल्याण योजनाओं को विस्तारित किया गया है

(ड.) सरकार श्रम ब्यूरो के माध्यम से विशिष्टतः कृषिय श्रम, रोजगार, बेरोजगार, औसत दैनिक उपार्जन घरेलू आय, व्यय और ऋणग्रस्तता, के बारे में आवधिक रूप से कृषियग्रामीण श्रम पूछ ताछ करती रही हैं, जिसने घरेलू नौकरों, रिक्शा चालको, बीडी श्रमिकों, होजरी श्रमिकों, कालीन विनिर्माता और अगरबत्ती उद्योग, बिक्र क्लिन श्रमिकों आदि की कामकाजी और रहन-सहन की दशाओं पर बहुत से क्षेत्र विशिष्ट तदर्थ सर्वेक्षण किए हैं।

अन्न भण्डारण की सुविधा

104. **श्री नरेश यादव** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में खाद्यान्न उत्पादन के अनुपात से खाद्यान्न में भंडारण की पर्याप्त क्षमता विद्यमान हैं;

(ख) यदि नहीं. तो क्या सरकार विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही हैं; और

(ग) क्या सरकार बिहार के जनजातियों क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने का विचार रखती हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता संबंधी समूची आवश्यकताएं सीधे उत्पादन से नहीं जुड़ी हुई हैं बल्कि खाद्यान्नों के उच्चतम स्तर की वसूली और निगम के पास रखे स्टाक से सम्बद्व हैं। 1.6.1995 को स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के गोदमों में रखे खाद्यान्न और भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैंः-

लाख मीटरी टन में)

	ढकी हुई कवर और प्लिंथ	**(कैप)**	**जोंड़**
क्षमता	231.52	54.27	285.79
खाद्यान्नों का स्टाक	190.32	40.60	230.92

अतः भारतीय खाद्य निगम की वर्तमान भण्डारण क्षमता मैक्रो स्तर पर उपलब्ध सटाक को रखने के लिए पर्याप्त हैं। तथापि, केन्द्रीय खातें पर वसूल किए गए स्टाक को रखने के लिए कुछ वसूली क्षेत्रों, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में समस्याएं हो जाती हैं। ऐसा मुख्य रूप से इस कारण होता हैं कि वसूल किए गए स्टाक को उपभोक्ता क्षेत्रों में वितरित करने के लिए पर्याप्त वैगन उपलब्ध नही होते जहां कि रिक्त स्थान उपलब्ध होता हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक वर्ष अपनी भण्डारण क्षमता में वृद्वि कर रहा हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान इसने, 6.6 लाख मीटरी टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता निर्मित करने का प्रस्ताव किया है जिसमें से इसने पहले ही 3.14 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण कर लिया हैं। निगम का प्रस्ताव हैं कि वर्ष 1995-96 के दौरान देश में 1.43 लाख मीटरी टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण किया जाएं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम का वर्तमान वर्ष 1995-96 के दौरान बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भण्डारण निगम/राज्य भण्डारण निगम से दुमका, जामतारा, सिमडेगा, लातेहर और गुमला क्षेत्रों में स्थित गोदामों (क्षमता) को किराए पर लेने का हैं बशर्ते इन स्थानों पर गोदाम उपलब्ध हों।